Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर
हनुमान बनाम बाबूलाल वगै0
अपील संख्या 110/2025 अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट GCMS NO

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मु.नं. 110/2025	
25.8.25	अपील श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता द्वारा पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 8/25 मे पारित अं[illegible] आदेश दिनांक 17.4.25 के विरूद्व पेश की गई है। जिसके अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पावडेरा के खाता संख्या 613 व 614 के खसरा नम्बरान के बाबत रहन बेचान/अन्तरण नही करने एवं निर्माण कार्य नही करने तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.5.25 तक पाबन्द किया गया है। चूंकि उक्त आदेश अंतरिम आदेश है जो पूर्ण आदेश की श्रेणी मे नही आता है। इस प्रकार उक्त आदेश मे किसी प्रकार का फेरबदल किया जाना विधि सम्मत नही [illegible]फर भी न्यायिक परिपेक्ष्य मे अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रस्तुत करे एवं अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे अप्रार्थीगण से जबाब प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन करते हुए अन्दर 1 माह मे प्रकरण का अंतिम निस्तारण करे। निर्णय सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner